> "समूह का निर्माण इस तथ्य पर आधारित है कि किसी-न-किसी स्वार्थ के कारण समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे से बँधे रहते हैं।"
>
> — सैपीर

समूह विश्वव्यापी है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ समूह न हो। समूह न केवल मनुष्यों में ही पाये जाते हैं बल्कि चींटियों तथा मक्खियों जैसे छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़ों में भी समूह के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार मानव-समाज में चाहे वह आदिकालीन (primitive) हो या आधुनिक—समूह पाये जाते हैं। मानव सभ्यता के प्रारम्भिक स्तर पर भी लोग 100 से लेकर 200 व्यक्तियों तक के खानाबदोशी जत्थों (band) के रूप में रहते थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि समूह विभिन्न रूपों में सभी प्राणियों में और सभी जगह पाये जाते हैं। एक अर्थ में समाज स्वयं एक विशाल समूह है। यह समूह विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार ऐसे असंख्य उप-समूहों में विभाजित हो गया है जिनके दर्शन हमें नित्य-प्रतिदिन अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं। इसी समूह की विवेचना प्रस्तुत अध्याय का अध्ययन-विषय है।

सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions of Social Group)

सामाजिक समूह उन सामाजिक प्राणियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध पाया जाता है। वास्तव में समूह व्यक्तियों का एक झुण्ड होता है जिसका सबसे छोटा रूप वह है जिसमें दो व्यक्ति होते हैं, जैसे—पति-पत्नी, माँ-बेटी, शिक्षक-विद्यार्थी आदि। इस मानव-झुण्ड या संग्रह का विस्तृत रूप भी हो सकता है, जैसे—क्लब, स्कूल, विश्वविद्यालय, जाति, प्रजाति, राष्ट्र आदि परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सामाजिक समूह का अर्थ जानने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं का उल्लेख अति आवश्यक है—

सर्वश्री ऑगबर्न और **निमकॉफ** (Ogburn and Nimkoff) ने सामाजिक समूह की परिभाषा करते हुए लिखा है, "......**जब कभी भी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं।**"[1]

सर्वश्री मैकाइवर और **पेज** (MacIver and Page) के शब्दों में, "**समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के उस संकलन से है जो एक-दूसरे के साथ सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं।**"[2]

श्री आर. बी. कैटल (R.B. Cattell) ने समूह के सदस्यों के बीच सहयोग का होना अनिवार्य माना है। उनके अनुसार, "**समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाये।**"[3]

Scanned with CamScanner

प्रो. स्माल (Albion Small) के अनुसार, "समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी उस बड़ी अथवा छोटी संस्था से है जिनके बीच इस प्रकार के सम्बन्ध विद्यमान हों कि उन्हें एक सम्बद्ध इकाई के रूप में सोचा जा सके।"[1]

उपर्युक्त सभी परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि **जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य जानकारी या मान्यता या उद्देश्य के आधार पर आपस में एक-दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करते तथा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे हम 'सामाजिक समूह' कहते हैं।**

सामाजिक समूह की विशेषताएँ (Characteristics of Social Group)

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर सामाजिक समूह की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है—

(1) **एकाधिक व्यक्ति** (More than One Person)—समूह वह संग्रह है जिसकी सदस्य-संख्या कम-से-कम दो या दो से अधिक हो। इस अर्थ में एक व्यक्ति अकेले समूह का निर्माण नहीं कर सकता, पर दो मित्र आपस में मिलकर एक समूह का रूप धारण कर लेंगे। इस प्रकार समूह का आकार उसकी सदस्य-संख्या से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित है।

(2) **वैयक्तिक सम्पर्क आवश्यक नहीं** (Personal Contact is not Necessary)—समूह के निर्माण में यह आवश्यक नहीं कि समूह के सभी सदस्य एक-दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते-पहचानते ही हों। छोटे समूहों, जैसे, मित्र-मण्डली, परिवार में तो व्यक्तिगत सम्पर्क होता है, पर बड़े समूहों में ऐसा होना सम्भव नहीं होता और न ही समूह के निर्माण के लिए ऐसा होना आवश्यक है।

(3) **सामाजिक सम्बन्ध का होना अनिवार्य** (Social Relation is a Must)—समूह के निर्माण के लिए व्यक्तिगत सम्पर्क आवश्यक नहीं, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि समूह के सदस्यों के बीच कोई सामाजिक सम्बन्ध भी नहीं होता है। सामाजिक सम्बन्ध के बिना समूह का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए समूह व्यक्तियों के उस संग्रह को कहते हैं जिसके सदस्यों में किसी सामान्य जानकारी, मान्यता या उद्देश्य के आधार पर पारस्परिक सम्बन्ध पाये जाते हैं।

(4) **अन्तःक्रिया का एक निश्चित स्वरूप** (A Definite Form of Interaction)—प्रत्येक समूह के सदस्यों के बीच अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध पाया जाता है और उस सम्बन्ध का अपना एक निश्चित स्वरूप होता है। उदाहरणार्थ, परिवार के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध का जो स्वरूप होता है, वह एक भीड़ के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले अन्तःक्रियात्मक सम्बन्ध के स्वरूप से निश्चय ही अलग होता है। उसी प्रकार एक बालचर (scout) समूह के सदस्यों के बीच तथा एक राजनीतिक समूह के सदस्यों के बीच पाये जाने वाले अन्तःक्रियात्मक सम्बन्धों का स्वरूप अलग-अलग ही होता है।

(5) **समूह निर्माण का एक निश्चित आधार** (A Definite Basis of Group Formation)—प्रत्येक समूह के निर्माण का कोई-न-कोई आधार अवश्य ही होता है। उदाहरणार्थ, रक्त-सम्बन्ध के आधार पर परिवार-समूह व जाति-समूह, शारीरिक विशेषता के आधार पर लिंग-समूह (sex group), आयु-समूह, क्षेत्रीय आधार पर राष्ट्र-समूह आदि का निर्माण होता है अर्थात् प्रत्येक समूह के निर्माण के सम्बन्ध में किसी-न-किसी आधार को ढूँढ़ा जा सकता है।

(6) **समूह की एक संरचना** (A Structure of the Group)—**प्रो. फिचर** (Fitcher) ने इस बात पर बल दिया है कि अन्य सामाजिक संगठनों की भाँति समूह की भी एक निश्चित संरचना या ढाँचा होता है और उस ढाँचे के अन्तर्गत उस समूह विशेष के सदस्यों की स्थितियाँ (statuses) निश्चित होती हैं। समूह के सदस्यों में स्थितियों का यह बँटवारा सभी समूहों में बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता (जैसे—मित्र-समूह में सभी मित्रों की स्थिति बहुत-कुछ समान मानी जाती है) फिर भी अधिकांशतः सदस्यों की स्थितियों में एक ऊँच-नीच का उतार-चढ़ाव या स्तरीकरण (stratification) देखने को मिलता है। उदाहरणार्थ, परिवार के सभी सदस्यों में, एक ही समूह (परिवार) के सदस्य होते हुए भी पिता, माता, पुत्र, पुत्री आदि की स्थितियों में ऊँच-नीच का भेद अवश्य होता है।

(7) **ऐच्छिक सदस्यता** (Voluntary Membership)—अधिकांशतः समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है अर्थात् यह व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि वह किस समूह का सदस्य बनेगा और किसका नहीं?

---

1 "A group may be defined as "any number of people, larger or smaller, between whom such relations are discovered that they must be thought of together." —*Albion Small*

Scanned with CamScanner

अत: वह अपनी इच्छा, रुचि और योग्यता के अनुसार किसी भी समूह से अपना सम्बन्ध जोड़ या तोड़ सकता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति कितने समूहों की सदस्यता को स्वीकार करेगा, यह भी उसकी अपनी व्यक्तिगत रुचि व योग्यता पर ही निर्भर करता है पर कुछ इस प्रकार के भी समूह होते हैं जिनकी सदस्यता व्यक्ति को अनिवार्य रूप से ग्रहण करनी होती है, जैसे—परिवार, जाति, राज्य आदि। एक परिवार या जाति में जन्म लेते ही वह उसका सदस्य बन जाता है, वह चाहे अथवा न चाहे। उसी प्रकार उसे किसी-न-किसी राज्य या राष्ट्र का सदस्य अनिवार्य रूप में बनना पड़ता है।

(8) **समान हित, स्वार्थ या उद्देश्य** (Common Interest or Objective)—एक समूह के सभी सदस्य कोई-न-कोई समान हित, स्वार्थ या उद्देश्य द्वारा आपस में बँधे होते हैं। यदि व्यावहारिक रूप में देखा जाय तो यह स्पष्ट होगा कि कोई व्यक्ति किसी विशेष समूह का सदस्य उसी अवस्था में बनता है जबकि उसे यह आशा हो कि उसके हितों की पूर्ति उस समय में ही हो सकती है। हित या स्वार्थ की भावना यदि न भी हो (जैसे एक मित्र-समूह में) फिर भी समूह के सदस्यों में उद्देश्य की एकता अवश्य ही होती है। यह समान हित या उद्देश्य ही एक समूह के सदस्यों में अन्त:क्रियात्मक सम्बन्धों (interactional relation) को पनपाने में सहायक सिद्ध होता है और इसके बिना समूह का निर्माण व बने रहना सम्भव नहीं होता।

(9) **नियन्त्रण का कोई स्वरूप** (Some Form of Control)—प्रत्येक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियन्त्रित करने के लिए किसी-न-किसी उपाय को अपनाता है, चाहे वह इस नियन्त्रण के लिए प्रथा, परम्परा, सामाजिक नियम, कानून या और कोई औपचारिक (formal) या अनौपचारिक (informal) साधन को अपनाये। यह साधन समूह की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। उदाहरणार्थ, परिवार-समूह में सदस्यों के व्यवहार को नियन्त्रित करने के लिए प्रथा, परम्परा या अन्य कुछ आदर्श-नियम पर्याप्त हो सकते हैं, पर एक राष्ट्र-समूह के सदस्यों का व्यवहार तो विस्तृत कानूनों के आधार पर ही सम्भव हो सकता है।

(10) **सामाजिक लक्ष्य** (Social Aim or Goal)—प्रत्येक समूह के माध्यम से समाज के किसी-न-किसी सामाजिक लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव होती है। वास्तविकता तो यह है कि समाज अपने सभी लक्ष्यों की प्राप्ति विभिन्न सामाजिक समूहों के द्वारा ही करता है। समाज के ये लक्ष्य समय-समय पर बदलते रहते हैं। अत: समूहों के सामाजिक लक्ष्य भी स्थिर नहीं, परिवर्तनशील होते हैं।

(11) **अस्तित्व की कुछ अवधि** (Some Duration of Existence)—समूह की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि प्रत्येक समूह के अस्तित्व की कुछ-न-कुछ अवधि होती है और इस अवधि (duration) को नापा जा सकता है। यह अवधि कई वर्षों की हो सकती है (जैसे—एक परिवार-समूह के अस्तित्व की अवधि) अथवा केवल कुछ मिनटों की (जैसे—एक आकस्मिक भीड़-समूह के अस्तित्व की अवधि)। अत: अवधि के आधार पर सामाजिक समूह को मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—एक तो अपेक्षाकृत स्थायी समूह, जैसे—राष्ट्र या जाति और दूसरा अस्थायी समूह, जैसे—भीड़, श्रोतागण इत्यादि।

समूह-निर्माण के आधार (The Bases of Group Formation)

अब तक की विवेचना से यह स्पष्ट है कि किसी भी सामान्य आधार पर परस्पर सम्बन्धित एकाधिक व्यक्तियों के संग्रह को सामाजिक समूह कहते हैं। सामाजिक जीवन में यह सामान्य आधार असंख्य हो सकते हैं और इनमें से कुछ भी समूह-निर्माण का आधार बन सकता है। इसलिए **श्री रॉबर्ट बीरस्टीड** (Robert Bierstedt)[1] ने लिखा है कि व्यक्तिगत विशेषता से लेकर सामाजिक जीवन का कोई भी पक्ष समूह-निर्माण का एक आधार बन सकता है। उदाहरणार्थ, आयु एक व्यक्तिगत विशेषता है और आयु के आधार पर विभिन्न समूहों का निर्माण हो सकता है और होता भी है। स्त्री-समूह और पुरुष-समूह का निर्माण **लिंग-भेद** के आधार पर है। उसी प्रकार व्यक्तिगत रुचि, आदत या मनोवृत्ति भी समूह-निर्माण का आधार बन सकती है, जैसे—शाकाहारी-समूह, शराबी-समूह, जुआरी-समूह आदि। इसके अतिरिक्त धर्म, जाति, प्रजाति, पेशा और विशेष योग्यता भी समूह-निर्माण का आधार हो सकता है, जैसे—हिन्दू या मुस्लिम समूह, ब्राह्मण या शूद्र समूह, श्वेत या श्याम प्रजातीय समूह, व्यापारी या नौकरपेशा वाला समूह, अभिनेता, संगीतकार, शिक्षक, चित्रकार या कवि-समूह आदि। यहाँ तक कि अपराध-भेद के आधार पर भी अनेक समूहों का निर्माण होता है। अत: समूह-निर्माण के आधार की इस सूची को इच्छानुसार बढ़ाया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

सर्वश्री मैकाइवर तथा **पेज** (MacIver and Page) ने (क) भू-भाग (जैसे—राष्ट्र, नगर, गाँव आदि), (ख) सामाजिक संगठन की प्रकृति (जैसे—राज्य, भीड़ आदि), (ग) सदस्य-संख्या (जैसे—परिवार, श्रमिक संघ आदि), (घ) पारस्परिक सम्बन्ध की प्रकृति (जैसे—बालचर, नगर आदि) और (ङ) शारीरिक लक्षण (जैसे—प्रजाति) आदि को समूह-निर्माण के आधार के रूप में स्वीकार किया है। इन आधारों का विस्तृत विवरण हम आगे के पृष्ठों में प्रस्तुत करेंगे।

सर्वश्री गिलिन तथा **गिलिन** (Gillin and Gillin) ने समूह-निर्माण के छः आधारों का उल्लेख किया है—(1) रक्त-सम्बन्ध (जैसे—परिवार), (2) शारीरिक विशेषता (जैसे—प्रजाति), (3) क्षेत्र (Territory) (जैसे—राष्ट्र), (4) अस्थायी संगठन (जैसे—भीड़), (5) स्थायी संगठन (जैसे—नगर) और (6) सांस्कृतिक आधार (जैसे—आर्थिक या धार्मिक समूह)।

उसी प्रकार **सर्वश्री सोरोकिन, जिम्मरमैन** तथा **गैलपिन** (Sorokin, Zimmerman and Galpin)[1] ने ऐसी अनेक चीजों का उल्लेख किया है जिनके आधार पर समूह का निर्माण हो सकता है और वे आधार हैं—(1) रक्त-सम्बन्ध अथवा एक ही पूर्वज से अपनी उत्पत्ति मानने का विश्वास, (2) विवाह, (3) समान धर्म अथवा जादू टोने की विधियाँ, (4) समान भाषा, (5) समान लोकाचारों और रीति-रिवाजों में विश्वास, (6) एक ही क्षेत्र में निवास, (7) पड़ोस, (8) सामान्य व्यवसाय, (9) समान उत्तरदायित्व, (10) एक ही स्वामी के अधीन रहकर कार्य करना, (11) समान शत्रु, (12) साथ-साथ रहकर कार्य करना, (13) एक ही संस्था से सम्बन्धित होना और (14) पारस्परिक सहयोग।

समूह-निर्माण का मनोवैज्ञानिक आधार (Psychological Basis of Group Formation)—विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रस्तुत समूह-निर्माण के उपर्युक्त आधारों की विवेचना से यह स्पष्ट है कि इन आधारों की संख्या दो-चार नहीं अपितु ये अनेक हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो एकाधिक व्यक्तियों में सामान्य (common) है, समूह-निर्माण का आधार बन सकती है। अतः इन आधारों की अवहेलना न करते हुए भी हमें यह याद रखना होगा कि प्रत्येक समूह के निर्माण का एक मनोवैज्ञानिक आधार भी होता है। "हम सब एक ही समूह के सदस्य हैं।" यह भावना या विचार ही वास्तव में एक समूह को जन्म देता है और उसके अस्तित्व को बनाये रखता है। हम यह भी जानते हैं कि सामाजिक समूह के सदस्यों में हित, स्वार्थ या उद्देश्य की समानता के प्रति जागरुकता होती है और यह जागरुकता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है जिसके बिना समूह के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध व अन्तःक्रियाएँ कदापि सम्भव नहीं हैं। सामान्य हित, स्वार्थ या उद्देश्य के प्रति जागरुकता विभिन्न व्यक्तियों को एक-दूसरे के साथ सम्बन्ध स्थापित करने को प्रेरित करती है और समूह-निर्माण की नींव को सींचती है।

मनुष्य की आवश्यकताएँ अनेक हैं—प्राणिशास्त्रीय, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कोई भी व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। अतः उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता एक-तरफा नहीं होती है अर्थात् यदि किन्हीं विषयों में एक व्यक्ति दूसरों से मदद लेता है तो कुछ विषयों में दूसरों को स्वयं मदद पहुँचाता है। इस प्रकार विभिन्न आवश्यकता के आधार पर पारस्परिक सहयोग की भावना पनपती है और सामान्य आवश्यकता, हित या उद्देश्य रखने वाले एकाधिक व्यक्ति एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार के पारस्परिक सहयोग के बिना उनकी सामान्य आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। यही जागरुकता उन्हें पारस्परिक अन्तःक्रियाएँ करने को प्रेरित करती है और समूह का निर्माण सम्भव होता है। अतः हम फिर उसी निष्कर्ष पर आते हैं कि अन्य किसी भी आधार को स्वीकार करते हुए भी समूह-निर्माण के मनोवैज्ञानिक आधार के वास्तविक महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

सामाजिक समूहों का वर्गीकरण
(CLASSIFICATION OF SOCIAL GROUPS)

विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कुछ विद्वानों द्वारा उल्लिखित महत्वपूर्ण वर्गीकरण अग्रांकित प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

Scanned with CamScanner

1. मैकाइवर तथा पेज का वर्गीकरण (Classification of MacIver and Page)

इन विद्वानों ने न केवल सामाजिक समूहों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है बल्कि वर्गीकरण के आध
का भी उल्लेख किया है। आपके द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण निम्नलिखित है[1]–

समूह (Group)	समूहों के वर्गीकरण का आधार (Basis of Classification of Groups)
1. **प्रमुख वर्ग**–प्रादेशिक एकता। **सामान्य स्वरूप**–समुदाय। **विशिष्ट स्वरूप**–जनजाति, राष्ट्र, प्रदेश, नगर, गाँव, पड़ोस आदि।	1. **प्रमुख आधार**–(अ) अधिकांश हितों की पू (ब) निश्चित भू-भाग।
2. **प्रमुख वर्ग**–संगठित हितों के प्रति जागरूक इकाइयाँ।	2. **प्रमुख आधार**–(अ) सदस्यों का सामा व्यवहार, (ब) अनिश्चित सामाजिक संगठन।
(क) **सामान्य स्वरूप**–सामाजिक वर्ग। **विशिष्ट स्वरूप**–जाति, वर्ग, अभिजात समूह (elite) आदि।	(क) **अतिरिक्त आधार**–(अ) एक समूह से दूस समूह में जाने की क्षमता, (ब) स्थिति, प्रतिष्ठ आर्थिक स्तर एवं अवसर में भिन्नता।
(ख) **सामान्य स्वरूप**–प्रजातीय समूह। **विशिष्ट स्वरूप**–प्रजाति, रंग के आधार पर निश्चित समूह, राष्ट्रीय समूह आदि।	(ख) **अतिरिक्त आधार**–(अ) समूह की उत्पत्ति, एक स्थान पर रहने की अवधि, (ब) शारीरिक लक्ष आदि।
(ग) **सामान्य स्वरूप**–भीड़, श्रोतागण आदि। **विशिष्ट स्वरूप**–समान (like) रुचि वाली भीड़, सामान्य (common) रुचि वाली भीड़।	(ग) **अतिरिक्त आधार**–(अ) अस्थायी हित (ब) अस्थायी समूह।
3. **प्रमुख वर्ग**–संगठित हितों के प्रति जागरूक इकाइयाँ।	3. **प्रमुख आधार**–(अ) हितों की निश्चित सीमा (ब) निश्चित सामाजिक संगठन।
(क) **सामान्य स्वरूप**–प्राथमिक समूह। **विशिष्ट स्वरूप**–परिवार, क्लब, गोष्ठी आदि।	(क) **अतिरिक्त आधार**–(अ) सदस्यता की निश्चित सीमा, (ब) सदस्यों के बीच व्यक्तिगत सम्बन्ध।
(ख) **सामान्य स्वरूप**–महासमितियाँ। **विशिष्ट स्वरूप**–राज्य, चर्च, श्रमिक संगठन आदि।	(ख) **अतिरिक्त आधार**–(अ) तुलनात्मक दृष्टि से असीमित सदस्यता, (ब) निश्चित औपचारिक (formal) सामाजिक संगठन तथा (स) अवैयक्तिक (impersonal) सम्बन्ध।

Scanned with CamScanner